

समाहरणालय, सिवान
(जिला गोपनीय शाखा)
आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू वर्तमान लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से वापस आनेवाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य अत्यधिक लोगों को जिले में आने की संभावना एवं ऐसे व्यक्तियों को 21 दिनों तक क्वॉरंटीन केन्द्र में रखने के संबंध में इस कार्यालय निर्गत विभिन्न पत्रों के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65-IB (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय एवं प्रखंडान्तर्गत कतिपय विद्यालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों को जिला/प्रखंड स्तरीय कॉरेंटाईन के रूप में तत्कालिक प्रभाव से अधिगृहित किया गया था।

वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी व्यक्तियों की आने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर, भगवानपुरहाट एवं जीरादेई के द्वारा विभिन्न सरकारी विद्यालयों की सूची भेजते हुए उसे अधिगृहित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65-IB (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय एवं प्रखंडान्तर्गत कतिपय विद्यालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों को जिला/प्रखंड स्तरीय कॉरेंटाईन केन्द्र के रूप में तत्कालिक प्रभाव से अधिगृहित किया जाता है -

क्र० सं०	नगर परिषद क्षेत्र/प्रखण्ड का नाम	अधिगृहित किये गये सरकारी/गैर सरकारी भवनों, विद्यालयों एवं होटल का नाम
1	2	3
1	नगर परिषद, सिवान क्षेत्रान्तर्गत	1-होटल कनिष्क, मैरवा रोड, सिवान
		2-होटल अशोका रेसिडेन्सी, नियर पुलिस लाईन केन्द्र, सिवान
		3-होटल ताजवीर, एम0एम0 कॉलोनी, सिवान
		4-होटल ए0एस0आर0 नियर सिसवन रेलवे ढाला, सिवान
		5-होटल सेलेक्ट, नियर सिसवन रेलवे ढाला, सिवान
		6-होटल कर्लाक इन, स्टेशन रोड, सिवान
		7-होटल जे0 के0, स्टेशन रोड नियर ओवर ब्रिज, सिवान
		8-होटल प्रधान, नियर बड़ी मरिजद, सिवान
2	प्रखंड रघुनाथपुर	1-मध्य विद्यालय, हरपुर
		2-मध्य विद्यालय, नेवारी
		3-मध्य विद्यालय, गभीरार
		4-मध्य विद्यालय, करसर
		5-मध्य विद्यालय, कन्हौली
		6-उत्कर्मित मध्य विद्यालय, सैदपुर
		7-मध्य विद्यालय, निख्तीकला
		8-उच्च विद्यालय, निख्तीकला
		9-उत्कर्मित मध्य विद्यालय, कौसर
		10-उत्कर्मित मध्य विद्यालय, दया छपरा
		11-उत्कर्मित मध्य विद्यालय, चकरी
		12-उत्कर्मित मध्य विद्यालय, जमनपुरा
		13-उत्कर्मित मध्य विद्यालय, कुशहरा कन्या
		14-कस्तुरबा बालिका विद्यालय, करसर

3	प्रखंड भगवानपुरहाट	1-उत्कर्मित मध्य विद्यालय, विलासपुर
		2-मध्य विद्यालय, पंडित के रामपुर
		3-एस0 एस0 उच्च विद्यालय, भगवानपुर
		4-आचार्य द्रोण बी0एड0 कॉलेज, रामपुर
4	प्रखंड जीरादेई	1- सुभाष आई0 टी0 आई0 (प्रा0), भरथुईगढ़, जीरादेई 2-प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम टेपहां, जीरादेई

जिला मुख्यालय अवस्थित होटल/प्रखंड क्वारंटीन केन्द्र में आवासित होने वाले व्यक्तियों को 21 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जायेगा। आवासित व्यक्तियों को Dignity Kit के साथ साथ हाथ धोने के लिये साबुन, मास्क, सेनेटाईजर, नाश्ता एवं भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इसके साथ ही सभी कोरेन्टाईन केन्द्रों में **CCTV** कैमरा एवं **TV** का भी अधिष्ठापन कराया जायेगा। संबंधित क्वारंटीन केन्द्रों के नोडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिदिन संध्या में दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित क्वारंटी क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी केन्द्र में आवासित व्यक्तियों का प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कराना एवं दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



जिला पदाधिकारी
सिवान

ज्ञापांक.....1403...../सी0, सिवान दिनांक.....14-05-2020...../

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर समाहर्ता,सिवान/उप विकास आयुक्त, सिवान/सिविल सर्जन, सिवान/अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिवान मुख्यालय /जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान/डी0पी0एम0 सर्व शिक्षा, सिवान/डा0 प्रमोद पाण्डेय, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सिवान/जिला प्रोग्राम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सिवान /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान एवं सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-केयर इंडिया, डब्लु0एच0ओ0 एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिवान सदर ,रघुनाथपुर, भगवानपुरहाट एवं जीरादेई/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान सदर ,रघुनाथपुर, भगवानपुरहाट एवं जीरादेई / अंचलाधिकारी, सिवान सदर ,रघुनाथपुर, भगवानपुरहाट एवं जीरादेई / थानाध्यक्ष, नगर थाना, मुफरसील थाना, रघुनाथपुर, भगवानपुरहाट एवं जीरादेई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रखंड सिवान सदर ,रघुनाथपुर, भगवानपुरहाट एवं जीरादेई से संबंधित सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं सभी सरकारी/गैर सरकारी भवनों के प्राचार्य/होटल मैनेजर/व्यवस्थापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



जिला पदाधिकारी
सिवान